संख्या- 5 /2015-सा-3-442/दस-2015-301(18)/2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 30 अप्रैल, 2015

विषय:- ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली "ई-पेंशन सिस्टम" का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सा-3-850/दस-2014-301(18)/2013, दिनॉक 18-09-2014, संख्या-10/सा-3-979/दस-2014-301(18)/2013, दिनॉक 28-10-2014 तथा संख्या-15/सा-3-1036/दस-2014-301(18)/2013, दिनॉक 28-11-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि "ई-पेंशन सिस्टम" सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न कार्यालयों में समुचित कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं जनशक्ति का अभाव है तथा विभागीय कार्यालयों द्वारा ऑन लाईन पेंशन प्रपत्र भेजे जाने में रूचि नहीं ली जा रही है, यह स्थिति उचित नहीं है।

3- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के कार्यालयों में समुचित Configuration का कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य आवश्यक सहवर्ती उपकरण तथा इन्टरनेट एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लिये डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था अविलम्ब कराने का कष्ट करें। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश दिनॉक 18-09-2014 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।